प्रेषक,

सदस्य–संयोजक,
टी0टी0जैड0 प्राधिकरण,
आगरा।

सेवा में,

सदस्य–सचिव,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

संख्या : 26 **/TTZ(PMU)/Ad_hoc Mort./19** | **दिनांक :** 21 **/01/2019**

विषय–ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में 5,000 वर्गमी0 से 20,000 वर्गमी0 तक बिल्टअप एरिया वाले बिल्डिंग तथा कन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के सम्बन्ध में।

महोदय,

सचिव, पर्यावरण, जल एवं वायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की अध्यक्षता में दिनांक 08.09.2016 को आहूत बैठक के निर्णयानुसार सम्पूर्ण ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में सफेद श्रेणी के अतिरिक्त लाल, नारंगी एवं हरी श्रेणी के उद्योगों की स्थापना एवं विस्तारीकरण पर तदर्थ रोक प्रभावी है।

उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 07.03.2016 को जारी वर्गीकृत उद्योगों की सूची के अनुसार बिल्डिंग तथा कन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, जिनका बिल्टअप एरिया 20,000 वर्गमी0 से अधिक है तथा डिस्चार्ज 100 केएलडी तक है, को नारंगी श्रेणी में रखा गया है। उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पत्रांक जी–29267/सी–4/सा062/2019 दिनांक 09.01.2019 द्वारा ग्रीन एण्ड व्हाईट् केटेगिरी लेफ्ट आउट सेक्टर्स इन दि सी.पी.सी.बी. केटेगराईजेशन की सूची जारी की गयी है, में क्रमांक–75 पर बिल्डिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स (जिनका बिल्टअप एरिया 5,000 वर्गमी0 से कम है एवं डिस्चार्ज 10 केएलडी से कम है) को सफेद श्रेणी के अन्तर्गत रखा गया है लेकिन ऐसे बिल्डिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, जिनका बिल्टअप एरिया 5,000 वर्गमी0 से 20,000 वर्गमी0 तक है, के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

अतः कृपया अवगत कराने का कष्ट करें कि ऐसे बिल्डिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, जिनका बिल्टअप एरिया 5,000 वर्गमी0 से 20,000 वर्गमी0 तक है, को किस श्रेणी के अन्तर्गत रखा गया है एवं ऐसे प्रोजेक्ट्स पर तदर्थ रोक प्रभावी है अथवा नहीं।

भवदीया

(शुभ्रा सक्सेना)
सदस्य संयोजक

प्रतिलिपि–

आयुक्त महोदय/अध्यक्ष, टी0टी0जैड0प्राधिकरण, आगरा को अवलोकनार्थ प्रेषित।

सदस्य संयोजक